तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल जज	में जारी हुए
18/11/19	अभि० वादी व पैरोकार सरकार उप० हैं।	

वादी का कथन है कि आराजी खाता नम्बर 230/5496 रकबा 1.00 है० वाके ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह में स्थित है जिसको वादी काश्त कर लगान राज में जमा करवाता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पैत्रक है। भागीरथ के दो पुत्र माधो व गंगल्या हुए। माधो के रामदेव हुआ तथा गंगल्या के रामदेव गोद आया। आराजी को गोद पुत्र की हैसियत से काश्त कर रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामदेव पुत्र गंगल्या दर्ज है जबकि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामदेव पुत्र माधू पि.मु. गंगल्या दर्ज किया जाना चाहिए था। वादी के अन्य रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड, आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड में रामदेव पुत्र माधू दर्ज है। इसलिए उपरोक्त राजस्व रिकार्ड बाबत सरकारी योजना से ऋण प्राप्त करने व सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी आती है इसलिए वादी उक्त आराजी में अपना नाम रामदेवा पुत्र माधू पि. मु. गंगल्या घोषित करवाकर इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वादी ने यह वाद पेश किया है। वादी ने प्रशासन गांव के संग अभियान 2018 में भी तहसीलदार टोडारायसिंह को उक्त रिकार्ड में रामदेव पुत्र माधू पि. मु. गंगल्या दुरूस्त करवाने के लिए कहा परन्तु नाम दुरूस्त नहीं हुआ इसलिए यह वाद पेश किया है। विवादमूल दिनांक 24/3/2019 को वादी ने तहसीलदार टोडारायसिंह को नाम दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो मना कर दिया। अतः दावा अन्दर मियाद पेश है अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि आ. ख. नं. 230/5496 रकबा 1.00 है० वाके ग्राम भासू में वादी का नाम रामदेवा पुत्र गंगल्या के स्थान पर रामदेवा पुत्र माधू पि. मु. गंगल्या घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त फरमाया जावे।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादी जारी सम्मन की गई। प्रतिवादी उप० आये लेकिन पर्याप्त समय

किये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी सं. 19 सम्वत् 2070-73 वाके ग्राम मासू प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी सं. 700 सम्वत् 2070-73 वाके ग्राम मासू प्रदर्श 2, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश किये।

बहस सुनी गयी जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। सजरा के अनुसार भागीरथ के दो पुत्र माधो व गंगल्या होना जाहिर है माधो के रामदेव हुआ। गंगल्या के कोई पुत्र संतान नहीं हुई। उक्त तथ्य गंगल्या की पुत्री पांची ने अपने बयानात में स्वीकार किया है। जमाबंदीयात में एक में रामदेव पुत्र माधो है तथा दूसरी में रामदेव पुत्र गंगल्या है जबकि रामदेव का तो गंगल्या का गोद पुत्र होना जाहिर है अन्य सभी दस्तावेजात में रामदेव पुत्र माधो है स्वयं गंगल्या की पुत्री पांची जो कि वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादी रामदेव की सहखातेदार भी है उसने व गवाह रामलाल पुत्र हीरा के बयानात भी इसी बात की ताईद करते है अतः दुरुस्ती इन्द्राज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आ.ख. नं. 230/5496 रकबा 1.00 है० वाके ग्राम मासू तहसील टोडाभीमसिंह में रामदेवा पुत्र गंगल्या के स्थान पर रामदेवा पुत्र माधो पि. मु. गंगल्या दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दिनांक 18/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(डॉ. [illegible] (सोंकरी))
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीमसिंह